संख्या-11/2023/ 271 /क0नि0प्र0/26-3-202315(38)/2015

फाइल कम्प्यूटर नं0-419352

प्रेषक,

नन्द किशोर शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ
समाज कल्याण विभाग

लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद- बलरामपुर के विकासखण्ड-गैसड़ी के ग्राम- गौरा बनगहा, गोविन्दपुर एवं जमुनी में विकास कार्य कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि की स्वीकृति/ व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-2193-95 /स0क0/विकास/आधारभूत-बलरामपुर (विविध-20)/2022-23 दिनांक 29 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद- बलरामपुर के विकासखण्ड-गैसड़ी के ग्राम- गौरा बनगहा, गोविन्दपुर एवं जमुनी में स्वीकृत सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण के कार्य हेतु कुल आगणित धनराशि रू0 299.90 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-15/2018/483/क0नि0प्र0/26-3-2018-15(38)/2015 दिनांक 28-03-2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि रू0 70.50 लाख के उपभोग के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 229.40 लाख में से निम्न विवरण के अनुसार कालम-9 में अंकित कुल रू0 77.02 लाख (रू0 सतहत्तर लाख दो हजार मात्र) की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-08/ 2022/ 570/ क0नि0प्र0/26-3-2022-21(48)/2021 टी0सी0 दिनांक 11-08-2022 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) के खाते में जमा/ उपलब्ध धनराशि में से व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

जनपद का नाम	**विकास खण्ड का नाम**	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**आंगणित लागत**	**प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि**	**उपभोग**	**अवशेष धनराशि**	**स्वीकृति की जा रही धनराशि**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बलरामपुर	गैसड़ी	गोविन्दपुर	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण	82.90	20.50	20.50	62.40	17.02
		जमुनी	-तदैव-	109.00	25.00	25.00	84.00	30.00
		गौरा बनगहा	-तदैव-	108.00	25.00	25.00	83.00	30.00
			कुल योग	**299.90**	**70.50**	**70.50**	**229.40**	77.02

(रू0 सतहत्तर लाख दो हजार मात्र)

<u>शर्तें/ प्रतिबन्ध</u>

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडको से कार्य कराया जायेगा तथा उक्त स्वीकृत कार्य शासनादेश संख्या 08/ 2022/ 570/ क0नि0प्र0/26-3-2022-21(48)/2021 टी0सी0 दिनांक 11-08-2022 में अंकित शर्तो एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0.अजय) के अन्तर्गत नामित सिंगल नोडल एजेन्सी के खाते में संबंधित योजनान्तर्गत जमा धनराशि में से नियमानुसार किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि को निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on https://www.bhartiyashasanadesh.org
shasanadesh.up.nic.in

4. उक्त प्रायोजनाओं का कार्य सक्षम स्तर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही किया जायेगा तथा तकनीकी स्वीकृति की एक प्रति शासन एवं समाज कल्याण निदेशालय को संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल उपलब्ध कराते हुए स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
5. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।
7. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा ।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित योजना अधिकारी का होगा।
12. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
14. योजनान्तर्गत बाट आउट आइटम की श्रेणी से आच्छादित कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

4. उक्त पर होने वाला व्यय वित्त विभाग की सहमति से निर्गत शासनादेश संख्या-08/2022/ 570/ क0नि0प्र0/26-3-2022-21(48)/2021 टी0सी0 दिनांक 11-08-2022 के अन्तर्गत प्रश्नगत योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) के खाते में जमा/ उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,

नन्द किशोर शर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
5. कोषाधिकारी,कैसरबाग,लखनऊ/कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ/कोषाधिकारी बलरामपुर ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (यू0पी0सिडको) उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, महानगर, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) बलरामपुर।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/ बजट प्रकोष्ष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

नन्द किशोर शर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in